

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-444 / 15संस्था०दि० 06 / 08 / 2015फाईलनं.233504002722016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. गीताबाई पति रामदास, उम्र 46 वर्ष,
2. हिमानी पिता रामदास, उम्र 20 वर्ष  
दोनों-जाति कुरमी, नि० पांडे मोहल्ला आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-04 / 10 / 2016 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-324 / 34 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 26 / 06 / 16 के समय करीब 06:40 बजे आरोपीगण के घर के सामने रतेडा रोड आमला थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत सहअभियुक्तगण हिमानी के साथ मिलकर फरियादी सिन्धूवर्मा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण हिमानी ने फरियादी सिंधू वर्मा को आक्रामक लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की।

02— दिनांक 04 / 10 / 16 को फरियादी सिन्धू वर्मा तथा अभियुक्तगण गीता, हिमानी का राजीनामा होने से धारा 294 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रतेडा रोड आमला रहती है। गृह कार्य करती है। थाना उपस्थित होकर जबानी रिपोर्ट किया कि दिनांक 26 / 06 / 15 की बात है। उसे उसकी रिश्तेदार गीतावर्मा ने उसके घर बुलाया उसने उसका लोन पास करवा था इसी बात पर से गीता वर्मा और उसकी लडकी हिमानी वर्मा दोनों गंदी-गंदी गालियाँ देने लगी, जो सुनने में बुरी लगी। बोली छिनाल तू उसके नाम से लोन निकाल लिया और उसके घर के सामने गीताबाई एवं हिमानीबाई ने अपने हाथ में रखी

लाठी से उसके दांहिने कंधे, कोहनी, पीठ बांये हाथ उंगली दोनों पैर के पंजे एवं दांहिन पैर के घुटने पिंडली में मारा, चोट लगकर छोटी उंगली में खून निकला है झगड़े का बीच बचाव मोहल्ले के अशोक सोनी, पिन्टू सोनी एवं छितिज वर्मा ने किया व देखा है। मारपीट करते यह लोग गंदी-गंदी गालियाँ देते जान से खत्म करने की धमकी दे रही थी कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 323, 506 भा० द० वि० कायम कर विवेचना में लिया गया।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र० पी०-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 348/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा० द० वि० की धारा 294, 323, 324, 34, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 27/06/15 को घटना का नक्शा मौका प्र० पी०-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 02/08/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र० पी० 3 एवं प्र० पी० 4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं० प्र० सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 26/06/16 के समय करीब 06:40 बजे आरोपीगण के घर के सामने रतेडा रोड आमला थाना आमला जिला बैतूल म० प्र० के अंतर्गत सहअभियुक्तगण हिमानी के साथ मिलकर फरियादी सिन्धू वर्मा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण हिमानी ने फरियादी सिंधू वर्मा को आक्रामक लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की।

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 का निराकरण**

07— अभियोजन साक्षी सिन्धू वर्मा (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण ने उसे घर पर बुलाया था जब वह आरोपीगण के घर पहुँची तो पुराने विवाद

पद दोनों आरोपीगण ने उसे गंदी-गंदी गालियाँ देकर हाथ मुक्कों से मारपीट की थी एवं जान से मारने की धमकी दी जिससे उसे दांहिने हाथ कंधे कलाई एवं पैरों में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस जांच करने मौके पर आई थी नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे धारदार लाठी से मारकर चोट पहुँचाई थी।

08— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे किसी प्रकार के धारदार वस्तु से मारपीट नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसका बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे आक्रामक लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी पंचमसिंह उईके (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी सिन्धू वर्मा पति राजेन्द्र वर्मा, उम्र 42 वर्ष नि0 रतेडा रोड आमला की शिकायत पर मैने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेख किया था जिसमें फरियादी सिंधू वर्मा ने बताया था कि दिनांक 26/06/15 के 6:40 बजे मेरे रिश्ते के गीता वर्मा ने मुझे अपने घर बुलाया और लोन पास कराने की बात पर से गीता वर्मा एवं हिमानी वर्मा दोनों ने गंदी-गंदी गालियाँ देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने बाबत फरियादी के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेख किया था जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/07/16 को फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया था जो प्र0पी0 2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— आगे इस गवाह ने बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 02/08/15 को आरोपी हिमानी वर्मा द्वारा प्रयोग की गई अडकाट की लकड़ी पेश करने पर गवाह शेख अब्दुल, यादोराव के समक्ष जप्त कर सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 3

बनाया जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी गीता वर्मा के द्वारा एक बांस की लाठी पेश करने पर गवाह यादोराव एवं शेख अब्दुल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 बनाया जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/06/15 को साक्षी शिथिल वर्मा सिन्धू तथा दिनांक 29/06/15 को अमीना विवेक और पिन्टू अशोक के बताए अनुसार लेख किए थे। यह गवाह विवेचना अधिकारी हैं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। घटना की फरियादी स्वयं ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद होकर महत्वहीन हो जाती है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सिंधू वर्मा को आक्रामक लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सिंधू वर्मा को आक्रामक लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण गीता, हिमानी को भा०द०वि० की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्तगण के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक बांस की लाठी एवं एक अडकाट की लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०